राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– **2017 / 2024**

कालूराम

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 19.06.2024

समक्ष :– **अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)**
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री अशोक बंसल उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. इस अपील में अपीलार्थी ने निलम्बन आदेश दिनांक 07.06.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को सीसीए नियम–13 के तहत निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को नायब तहसीलदार, भानीपुरा, जिला चूरू में पदस्थापित होना बताया गया है, जबकि अपीलार्थी नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित न होकर तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। इस प्रकार आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य निलम्बन आदेश बिना किन्हीं आधारों के पारित किया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2024 को होनी है और दुर्भावनापूर्वक अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृति से ठीक पूर्व निलम्बित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को अनुशासनात्मक कार्यवाही में जो आरोप पत्र सीसीए नियम–16 के तहत आरोप पत्र दिया गया है, उसमें अपीलार्थी पर राजकीय भूमि के आवंटन का नामान्तरण अनियमित तरीके से स्वीकृत किये जाने का आरोप लगाया गया है, जबकि अपीलार्थी ने कोई भी अनियमितता नहीं की है। अपीलार्थी तत्कालीन समय में केवल तीन माह के लिये ही नायब तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर

पदस्थापित हुआ था। अपीलार्थी ने नामान्तरण उसके पास प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार किया है, जिसमें उसने कोई लापरवाही नहीं की है। अतः अपीलार्थी को गलत आधार पर आरोप पत्र दिया गया है।

4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन नायब तहसीलदार होना आवश्यक अंकित किया गया है, परन्तु अपलार्थी के सम्बन्ध में यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी कालूराम तत्कालीन नायब तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर में कार्यरत था। ऐसे में अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन तहसीलदार के स्थान पर नायब तहसीलदार लिखे जाने के आदेश को विधि विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी के निलम्बन आदेश में उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होना मानते हुए किया गया था। वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया जा चुका है। अपीलार्थी को उसके द्वारा नायब तहसीलदार पूगल में पदस्थापित रहने के दौरान उसके द्वारा अनियमितता किये जाने के आधार पर दिया गया है। आरोप पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजकीय भूमि को गलत तरीके से नामान्तरण किये जाने का आरोप है, जिसके संबंध मे अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। हम यह नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई आरोप प्रकट नहीं होता है। अतः आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार हम नहीं पाते हैं।

6. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)